

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

शुद्धि पत्र

सं0सं0 05/उ0नि0ब0(आ0)5/2017

उद्योग निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश पत्रांक 78/आ0, दिनांक 23.11.2017 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

आवंटनादेश के साथ संलग्न तालिका में कॉलम 8 पर अंकित विषय शीर्ष (मद)-वर्दी/पोशाक के लिए कूट संख्या 0001.13.05 की जगह 0001.13.06 पढ़ा जाय।

तदनुसार निर्गत आवंटनादेश पत्रांक 78/आ0, दिनांक 23.11.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आवंटन की अन्य शर्तें एवं बंधेज यथावत रहेगी।

ज्ञापांक 79/आवंटन

प्रतिलिपि :- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया/सीवान/पूर्वी चम्पारण/सीतामढ़ी/मधुबनी/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 29.11.17

ज्ञापांक 79/आवंटन

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/सीवान/पूर्वी चम्पारण/सीतामढ़ी/मधुबनी/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 29.11.17

ज्ञापांक 79/आवंटन

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 29.11.17

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।